गहलोत की मनोस्थिति ''मैं तो वही खिलौना लूंगा, मचल गया दीना का लाल'' जैसी : सी.पी.जोशी

'गहलोत सरकार ने भ्रष्टाचार से लड़ने वाली एसीबी जैसी संस्था को बनाया पंगु, आना पड़ा ई.डी. को'

■ कांग्रेस की गुटबाजी फिर आई सामने, सीएम गहलोत ने प्रेसवार्ता में स्वीकारा कि पायलट खेमे के लोगों की टिकिट में मैंने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई : राजेन्द्र राठौड़

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने मुख्यमंत्री गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कुर्सी के लालच में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरे प्रदेश को अपराध और भ्रष्टाचार के दावानल में धकेल दिया। गहलोत यह बार-बार दोहरा रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री का पद छोड़ना चाहता हूं, लेकिन यह पद मुझे नहीं छोड़ रहा और आगे भी नहीं छोड़ेगा। मुख्यमंत्री पद को लेकर अशोक गहलोत की मनोस्थिति ''मैं तो वहीं खिलौना लूंगा, मचल गया दीना का लाल'' जैसी है। राजस्थान की जनता ने अब तय कर लिया है, कांग्रेस के इस भ्रष्ट शासन को जड़ से उखाड़ फेंकना है।

जोशी ने कहा कि ईडी से उनके पेट में दर्द स्वाभाविक है, क्योंकि इनकी सरकार के हर विभाग में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। जहां भ्रष्टाचार होगा वहां केंद्रीय एजेंसियां आएंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भ्रष्टाचार से लड़ने वाली प्रदेश की संस्था एसीबी को पंगु बना दिया है। खुद एसीबी के पूर्व प्रमुख बीएल सोनी मुख्यमंत्री पर आरोप लगा चुके हैं। 90 प्रतिशत से अधिक मामलों में आज भी अभियोजन स्वीकृति नहीं मिली है। ऐसी स्थिति में प्रदेश में भ्रष्टाचार कैसे कम होगा। आरपीएससी में पैसे लेकर सदस्य बनाना, उन सदस्यों का पेपर आउट करने में संलिप्त रहना, प्रदेश सरकार का उन पर उचित कार्रवाई नहीं करना, पेपर आउट करने में पकड़े गए आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट के महंगे वकील उपलब्ध कराना, परीक्षा में पास करने के नाम पर लाखों रुपए रिश्वत लेने वाले कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री के मामले में कमजोर धाराएं लगाना जैसे अनेक मामले हैं, जो कांग्रेस सरकार की कार्यरत प्रणाली पर प्रश्न चिह्न उठाती है।

नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत ने आज प्रेसवार्ता में खुद स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस में आपसी गुटबाजी चल रही है, गहलोत ने कहा कि मैंने पायलट गुट के लोगों को टिकिट देने में कोई आपत्ति नहीं की। इससे साफ स्पष्ट है कि कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची को लेकर किस कदर खींचतान चल रही है। प्रदेश में किस्सा कुर्सी नाम से जो फिल्म पूरे पांच साल चली वह अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही।

राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में सभी जांच एजेन्सियों को हाईजैक कर लिया और अपने राजनीतिक फायदे के लिए उनका इस्तेमाल किया है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण संजीवनी मामले में देखने को मिला है। सर्वविदित है कि केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह की ओर से मुख्यमंत्री गहलोत के खिलाफ मानहानि का मामला दायर करने के बाद एसओजी ने अपनी जांच में उनका नाम शामिल किया है। सरकारी जांच एजेन्सी का इससे बड़ा दुरुपयोग का मामला पूरे देश में कहीं भी देखने को नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पेपरलीक मामले में जबरदस्त दवाब के बाद भी जांच सीबीआई को नहीं सौंपते। पेपरलीक व युवा बेरोजगारों से की गई धोखाधडी को लेकर खुद मुख्यमंत्री अपराधबोध से ग्रस्त है इसलिए वे आए दिन केन्द्र को कोसकर अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश कर रहे हैं।

डिज्नीलैंड की थीम पर बना माता का पांडाल

शारदीय नवरात्रों में जगह-जगह बंगाली समाज की समितियों ने माता के पांडाल सजाए हैं। मुरलीपुरा में सार्वजनिक पूजा उत्सव समिति ने दुर्गा पूजा महोत्सव के लिए डिज्नीलैंड की थीम पर माता का पांडाल बनाया है जिसमें शुक्रवार से दुर्गा पूजा होगी। इस दुर्गा पूजा पांडाल का विद्याधर नगर प्रत्याशी दीया कुमारी उद्घाटन करेगी।

महिला कांस्टेबल पर हमला अपराधियों के बुलन्द हौंसलों का नतीजा : डॉ. अल्का गुर्जर

■ 'कांग्रेस सरकार की महिलाओं को सुरक्षा जैसे दावों की खुली पोल'

जयपुर। भाजपा राष्ट्रीय मंत्री डॉ.अल्का गुर्जर ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के राज में कानून व्यवस्था तार-तार हो गई। राज्य की लचर कानून व्यवस्था के कारण अब तो हालात यह है कि राजस्थान पुलिस अकादमी में बदमाश महिला पुलिसकर्मी पर जानलेवा हमला कर फरार हो गया। जयपुर के सबसे सुरक्षित जगहों में शुमार आरपीए जैसी जगह में महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो फिर प्रदेश के दूर दराज में रहने वाली महिलाओं की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में कानून व्यवस्था चाक चौबंद होने का दावा कर रहे हैं लेकिन हकीकत यह है कि राजधानी सहित प्रदेश भर में बदमाश कहीं सरेआम गोलियां चला रहे हैं तो कहीं दिन दहाडे हत्या जैसी वारदात को अंजाम दे कर फरार हो जाते हैं। आरपीए में महिला पुलिसकर्मी पर जानलेवा हमला प्रियंका गांधी का महिला सुरक्षा को लेकर दिए गए नारे लड़की हूं लड़ सकती हूं, की पोल खोल रहा है।

राष्ट्रीय मंत्री डॉ.अल्का गुर्जर ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आने के बाद दुष्कर्म और महिला हिंसा के मामलों में लगातार बढोतरी हो रही है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के पिछले 3 सालों में महिला हिंसा के मामले में राजस्थान देश में पहले नंबर पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि यह तो केवल वे मामले है जो पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज हैं, लेकिन हजारों ऐसी वारदात है जो दर्ज ही नहीं हुई। महिला अत्याचार और दुष्कर्म के मामलों ने तो राज्य में पुलिस का स्लोगन ही बदल दिया है। अब आमजन भी कह रहा है कि पुलिस का स्लोगन अपराधियों में विश्वास और आमजन में डर बन गया हैं।

पदस्थापित नहीं करने पर मांगा जवाब

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षा में ज्यादा अंक लाने के बाद भी याचिकाकर्ताओं को चाहे गए जिले में नियुक्ति नहीं देने पर प्रमुख शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक व जिला शिक्षा अधिकारी, डीग सहित अन्य से एक सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश रणजीत सिंह व अन्य की याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि याचिकाकर्ताओं ने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में नियुक्ति के लिए 10 अगस्त 2023 को आयोजित परीक्षा में भाग लिया और ज्यादा अंक प्राप्त किए। इसके बावजूद भी उनसे कम अंक वाले अभ्यर्थियों को चाहे गए जिले आवंटित कर दिए और याचिकाकर्ताओं को इससे वंचित रखा गया। याचिका में कहा कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वहां पर नियुक्ति नहीं दी जा रही है। वर्तमान में याचिकाकर्ता डार्क जोन में कार्यरत हैं।

नौ माह की सजा के खिलाफ 19 साल चली अपील

■ हाईकोर्ट ने इसी आधार पर सजा कम की

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने लापरवाही से वाहन चलाने के दौरान हुई दुर्घटना में मौत के मामले में 19 साल से लंबित आपराधिक अपील का निस्तारण कर दिया है। निचली अदालत ने अभियुक्त को नौ माह की सजा सुनाई थी। अदालत ने कहा कि वे निचली अदालतों की ओर से दिए गए आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन मामला काफी पुराना हो चुका है और इस दौरान याचिकाकर्ता लंबी मुकदमेबाजी का दर्द झेल चुका है। इसलिए उसकी सजा को पूर्व में भुगती गई सजा की अवधि तक कम किया जा रहा है। जस्टिस बिरेन्द्र कुमार की एकलपीठ ने यह आदेश सेडू राम की ओर से दायर आपराधिक याचिका का निस्तारण करते हुए दिए।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रवीण बलवदा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ झुंझुनूं के उदयपुरवाटी थाने में वर्ष 1994 में रिपोर्ट दी गई थी। जिसमें कहा गया था कि उसने सड़क पर लापरवाही और उपेक्षा के साथ गाड़ी चलाते हुए साइकिल को पीछे से जोरदार टक्कर मारी। इसके चलते साइकिल सवार की मौत हो गई। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ए, 279 और धारा 337 के तहत एफआईआर दर्ज कर प्रकरण को लेकर निचली अदालत में आरोप पत्र पेश कर दिया। इस पर कई सालों तक सुनवाई के बाद 12 नवंबर 2003 को निचली अदालत ने याचिकाकर्ता अभियुक्त को दोषी मानते हुए नौ माह की सजा सुनाते हुए पांच सौ रुपए का जुर्माना भी लगाया। वहीं जुर्माना अदा नहीं करने पर पन्द्रह दिन अतिरिक्त जेल में बिताने की सजा दी गई। इस आदेश को सत्र न्यायाधीश में चुनौती दी गई, लेकिन सत्र न्यायालय ने भी 16 जनवरी, 2004 को अपील को निरस्त करते हुए निचली अदालत की ओर से दी गई सजा को बरकरार रखा। इन दोनों आदेशों को हाईकोर्ट में आपराधिक याचिका पेश कर वर्ष 2004 में ही चुनौती दी गई।

'रजिस्ट्री बिना नहीं वसूल सकते मेंटेनेंस शुल्क'

जयपुर, (का.सं.)। जयपुर मेट्रो-प्रथम की स्थाई लोक अदालत ने टाउनशिप में स्थित भूखंड के मेंटेनेंस शुल्क से जुड़े मामले में कहा है कि भूखंड की रजिस्ट्री हुए बिना आवंटी से मेंटेनेंस शुल्क की वसूली नहीं की जा सकती। लोक अदालत ने कहा कि भूखंड की रजिस्ट्री नहीं होने के चलते परिवादी को खरीदार की श्रेणी में नहीं मान सकते। ऐसे में रजिस्ट्री होने के बाद ही विकासकर्ता मेंटेनेंस शुल्क वसूलने के अधिकारी होंगे। इसके साथ ही अदालत ने अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को निर्देश दिए हैं कि वह दो महीने में भूखंड की रजिस्ट्री कराए और इसके बाद ही परिवादी भी नियमानुसार मेंटेनेंस शुल्क अदा करे। लोक अदालत के अध्यक्ष हरविन्दर सिंह ने यह आदेश रामस्वरूप शर्मा के परिवाद पर दिए। परिवाद में अधिवक्ता पवन शर्मा ने बताया कि परिवादी ने अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से अंसल सुशांत सिटी प्रथम टाउनशिप में 14 दिसम्बर, 2005 को भूखंड खरीदा था, लेकिन मेंटेनेंस शुल्क को लेकर उनके बीच कोई कॉन्ट्रेक्ट नहीं हुआ था।

गहलोत के बयान पर किरोड़ी ने किया पलटवार

जयपुर। राज्यसभा सांसद एवं सवाई माधोपुर से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बयान जारी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मिलीभगत तो आपकी सरकार और नकल माफिया की है। मैंने पेपर लीक के मामलों का सबूतों के साथ खुलासा किया, लेकिन एसओजी ने सिर्फ छोटी मछलियों को पकड़ा, बड़े मगरमच्छों को नहीं। सुरेश ढाका आज भी गिरफ्त से दूर है। राज्य की एजेंसी काम नहीं करेंगी तो ईडी कमान हाथ में लेगी ही। मुखिया आपकी सरकार ने जल जीवन मिशन व डीओआईटी घोटाले की ईमानदारी से जांच की होती तो ईडी की एंट्री नहीं होती। मैंने तो बार-बार आपसे सीबीआई जांच की अनुशंसा करने का आग्रह किया।

ज्यादा अंक लाने वालों को क्यों नहीं किया शामिल?

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती-2023 में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के ज्यादा अंक होने के बावजूद भी उन्हें अंतरिम वरीयता सूची में शामिल नहीं करने पर प्रमुख चिकित्सा सचिव और चिकित्सा निदेशक सहित अन्य से जवाब तलब किया है। अदालत ने इन अधिकारियों से पूछा है कि अंतरिम वरीयता सूची में ज्यादा अंक वालों की जगह कम अंक वाले अभ्यर्थी कैसे चयनित किए गए हैं। इसके साथ ही अदालत ने याचिका की कॉपी एजी को दिलवाई है। जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश गिर्राज व अन्य की याचिका पर दिया।

याचिका में कहा कि नर्सिंग ऑफिसर भर्ती-2023 की अंतरिम वरीयता सूची 7 अक्टूबर को जारी की गई। इसमें याचिकाकर्ता सहित ओबीसी व एससी-एसटी के उन अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया, जिनके ज्यादा अंक थे। वहीं उनसे कम मेरिट वाले अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों को शामिल कर लिया गया। इसके अलावा भर्ती में अनुभव के बोनस अंक देने में भी राज्य सरकार अपने संशोधित आदेश का पालन नहीं कर रही है। राज्य सरकार ने अभ्यर्थियों को बोनस अंक के लिए अनुभव प्रमाण पत्र एक महीने में 26 दिन के हिसाब से जारी किए हैं, जबकि संशोधित आदेश 30 दिन से जारी करने के लिए था। ऐसे अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने से याचिकाकर्ताओं की वरीयता भी प्रभावित हो रही है। इसलिए याचिकाकर्ताओं को अंतरिम वरीयता सूची में शामिल करवाया जाए।

'मोदी ने महिला सशक्तिकरण की राह आसान की'

जयपुर। केन्द्रीय मंत्री डॉ.जितेन्द्र सिंह ने गुरुवार को विद्याधर नगर विधानसभा के खातीपुरा मंडल में कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि आज महिला सशक्तिकरण एक लक्ष्य ही नहीं, बल्कि हकीकत बन चुकी है। उन्होंने आदित्य मिशन का हवाला देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सुनिश्चित किया कि महिलाओं को ऐसा वातावरण दिया जाए। उन्होंने विद्याधर नगर भाजपा प्रत्याशी दीया कुमारी की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनके द्वारा राजसमंद में किये गए कार्यों से प्रभावित होकर प्रदेश के चुनावों में प्रत्याशी बनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं में काफी जोश नज़र आया जिसके लिए दीया कुमारी ने उनका धन्यवाद किया।

सियासी मैनेजमेंट संभालने में व्यस्त सरकार ने बिगाड़ा पावर मैनेजमेंट : डॉ. अरूण चतुर्वेदी

जयपुर। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि बिजली के क्षेत्र में अग्रणी राजस्थान पिछले पांच वर्षों में पिछड़कर देश के कई राज्यों से पीछे चला गया है। अब तो स्थिति यह बन रही है कि प्रदेश की बिजली कम्पनियों के पास कर्मचारियों की तनख्वाह के लाले पड़ रहे हैं। वहीं कमजोर मैनेजमेंट के कारण इसी सीजन मे तीसरी बार बिजली कटौती के हालात पैदा हो रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बिजली को लेकर चले लचर प्रबन्धन के कारण बिजली वितरण कम्पनियों का कर्ज भी 1.10 लाख करोड़ से अधिक हो गया है और इन कम्पनियों को ऋण पर ब्याज चुकाने के लिए भी ऋण लेना पड़ रहा है।

डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि मानसून सीजन के दौरान अगस्त में बारिश थम जाने के बाद राज्य सरकार किसानों को बिजली देने में विफल साबित हुई। इसके कारण समय पर सिंचाई नहीं हो पाने से किसानों की हजारों बीघा पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। बारिश बंद होने के बाद किसानों को उम्मीद थी कि समय पर बिजली मिलने से नलकूप और कुंओ से सिंचाई हो जाएगी लेकिन राज्य सरकार ने किसानों को बिजली भी उपलब्ध नहीं करवाई। किसानों ने बिजली की मांग को लेकर प्रदर्शन किया तो देशव्यापी कमी की बात कहकर सरकार ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। साथ ही पूरे अगस्त में राज्य के आम आदमी को बिजली की कटौती का सामना करना पड़ा है। इसके बाद एक बार फिर बिजली प्रबन्धन फेल हो जाने के कारण उद्योगों पर कटौती के आदेश जारी किए गए हैं। चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार के बिजली को लेकर पिछले 5 सालों में किए गए कुप्रबन्धन के कारण राजस्थान के इतिहास की सबसे ज्यादा फ्यूल सरचार्ज की वसूली की गई है। पिछले तीन साल में सरकार करीब 15 बार फ्यूल सरचार्ज की वसूली कर चुकी है। इसमें भी राज्य में सरकार ने फ्यूल सरचार्ज के नाम पर 55 पैसे प्रति यूनिट की वसूली की है। सरकार की गलत नीतियों के कारण आम उपभोक्ताओं को बिजली बिलो में प्रति यूनिट 7 पैसे की अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी को 24 घंटे बिजली देने का वादा करने वाली कांग्रेस सरकार राज्य में लोगों को 20 घंटे बिजली देने में भी विफल साबित हुई है। इसके अलावा कृषि कार्यों के लिए भी इस शासन में किसानों को 6 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिल पाई है। सरकार के बिगडे प्रबन्धन के कारण रात में सिंचाई करते कई किसान काल कलवित हो गए है।

प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए गुरूवार को मोती डूंगरी रोड स्थित नायला हाउस से रवाना होकर त्रिमूर्ति सर्किल तक अर्द्धसैनिक बलों की टुकड़ी ने फ्लैग मार्च निकाला।